

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3204
22 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्वपूर्ण पावर ट्रेन संघटक

3204. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के महत्वपूर्ण पावर ट्रेन संघटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा ईवी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार का विचार स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ई-मोबिलिटी पर अधिक बल देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्वपूर्ण पावर ट्रेन घटकों सहित ऑटो क्षेत्र के लिए उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों (एएटी) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया जिसका विवरण अनुलग्नक-1 में यथाअधिसूचित अनुसार है।

(ख): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000

करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु दिनांक 12 मई, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। इस स्कीम को कुल 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत कुशल शहरी मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट सिटी का एक मुख्य अवसरंचनात्मक तत्व माना गया है। कुछ शहरों में ई-मोबिलिटी क्षेत्र में परियोजनाएं लागू की गई हैं जिनमें सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बसों और मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा की अधिप्राप्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, कुछ स्मार्ट सिटी में अपशिष्ट संग्रहण और उसकी ढुलाई के लिए ई-वाहनों का उपयोग हो रहा है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229899
CG-DL-E-23092021-229899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3612]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

No. 3612]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

विषय: ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पाद सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम

का.आ. 3946(अ).—1. परिचय:

सरकार ने भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के प्रयोजन से उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता संवर्धन हेतु 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उत्पाद सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है।

2. उद्देश्य:

ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पाद सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, आकारिक मितव्ययिता कायम करना और उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार सृजन भी होगा। यह स्कीम ऑटोमोबिल उद्योग को मूल्य श्रृंखला में उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान करेगी।

3. स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

3.1 स्कीम के घटक: इस स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी से संबंधित ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों की वृद्धिशील बिक्री को प्रोत्साहित करने वाले दो घटक शामिल हैं।

3.2 पात्रता: आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को स्कीम के तहत अर्हता प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सामान्य मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:

मूल पात्रता मानदंड:

(क) कंपनी या उसके समूह की कंपनी (कंपनियों) के लिए जो भारत में या वैश्विक स्तर पर ऑटोमोटिव वाहन और घटकों के निर्माण व्यवसाय में हैं:

| पात्रता मानदंड | ओईएम ऑटो | ऑटो घटक |
|--|--|---|
| वैश्विक समूह* राजस्व (ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक निर्माण से) | न्यूनतम ₹10,000 करोड़। | न्यूनतम ₹500 करोड़। |
| निवेश | ₹ 3,000 करोड़ की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी का वैश्विक निवेश | ₹150 करोड़ की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी का वैश्विक निवेश |

*समूह कंपनी(यों) का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यमों से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित की स्थिति में हों:

अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करना;

या

अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करना (2020 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परिपत्र में यथापरिभाषित)।

नोट: i. उपरोक्त पात्रता मानदंड 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर पूरा किया जाना है।

ii. आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को स्कीम के तहत पात्र होने के लिए संपूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

(ख) नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए जो इस स्कीम में भाग लेना चाहती हों:

| | |
|--|---|
| पात्रता मापदंड | नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) (जो वर्तमान में ऑटोमोबिल या ऑटो कंपोनेंट निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं) |
| वैश्विक निवल मूल्य | 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ₹1000 करोड़। |
| पांच वर्ष की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश | नीचे दिए गए पैरा 3.2 (ग) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार। |

नोट :

- गैर-ऑटोमोटिव कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) इस स्कीम के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे भारत में निवेश करने और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों या उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के निर्माण से राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय स्कीम प्रस्तुत करें।
- आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) किसी विशेष वर्ष के लिए प्राप्त किए जाने वाले संचयी न्यूनतम नए घरेलू निवेश को पूरा करने के अधीन प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगी। आवेदक को पहले वर्ष से निर्धारित न्यूनतम सीमा से वर्ष दर वर्ष वृद्धि मानदंड को भी पूरा करना होगा।

- iii. नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिनके पास 31 मार्च 2021 तक ऑटोमोबिल या ऑटो घटकों के निर्माण से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता।
- iv. आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को संपूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

(ग) न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तें:

प्रदर्शन की संचयी नई घरेलू निवेश शर्त (₹ करोड़)

| संचयी नया घरेलू निवेश हासिल किया जाना है | चैंपियन ओईएम (दुपहिया और तिपहिया को छोड़कर) | चैंपियन ओईएम दुपहिया और तिपहिया | घटक चैंपियन | नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (ओईएम) कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) | नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (घटक) कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) |
|--|---|---------------------------------|-------------|---|--|
| 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले | 300 | 150 | 40 | 300 | 80 |
| 31 मार्च 2024 तक या उससे पहले | 800 | 400 | 100 | 800 | 200 |
| 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले | 1400 | 700 | 175 | 1400 | 350 |
| 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले | 1750 | 875 | 220 | 1750 | 440 |
| 31 मार्च 2027 तक या उससे पहले | 2000 | 1000 | 250 | 2000 | 500 |

नोट:

- नया निवेश उसी कानूनी इकाई से किया जाना चाहिए जो प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर रहा है।
- 1 अप्रैल 2021 से शुरू संचयी नई घरेलू निवेश पर इस शर्त के तहत विचार किया जाएगा।
- अनुमोदित कंपनी को प्रत्येक वर्ष के लिए संचयी निवेश शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है।
- इस प्रक्रिया में, यदि कोई भी अनुमोदित कंपनी स्कीम के अंत से कुछ साल पहले निवेश की शर्त पूरी करती है; यह स्कीम के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा बशर्ते अन्य शर्तों को पूरा किया गया हो।
- यदि अनुमोदित कंपनी किसी वर्ष विशेष में संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा, भले ही निर्धारित बिक्री मूल्य के लिए सीमा हासिल कर ली गई हो। किंतु, यह अभी भी बाद के वर्षों में स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी यदि यह उस वर्ष के लिए परिभाषित संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा कर ले।

(घ) स्कीम अवधि के दौरान अपने निवेश को फ्रंट लोड करने के लिए प्रतिबद्ध पात्र कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को वरीयता दी जाएगी। प्रस्तावित निवेश प्रतिबद्धता का मूल्यांकन निवेश के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना बैंक दर को छूट कारक के रूप में लेते हुए किया जाएगा।

3.3 स्कीम का विवरण

इस स्कीम के दो घटक हैं, अर्थात्-चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम। किसी भी मोटर वाहन ओईएम कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसके समूह कंपनी (कंपनियां) स्कीम के दोनों घटकों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

3.3.1 स्कीम के सामान्य विवरण

3.3.1.1 स्कीम का कार्यकाल

- स्कीम के तहत प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू होगा, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में वितरित किया जाएगा और इसी तरह कुल पांच (05) वर्षों के लिए लगातार वित्तीय वितरित किया जाएगा।
- अनुमोदित आवेदक लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा, किंतु 31/03/2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नहीं।
- आधार वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2019-20 को पात्र बिक्री मूल्य की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा (अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के लिए लागू नहीं)।

3.3.1.2 स्कीम के तहत पात्र बिक्री मूल्य और निर्धारित बिक्री मूल्य:

- वाहन खंड के लिए योग्य बिक्री मूल्य:** पात्र वाहनों के लिए कुल बिक्री (जीएसटी का शुद्ध)।
- घटक खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य:** पात्र घटकों के लिए कुल बिक्री (जीएसटी का शुद्ध) या भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित पात्र घटक का विभाजित मूल्य।
- वाहन खंड के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य:** (किसी विशेष वर्ष के लिए वाहन खंड के लिए योग्य बिक्री मूल्य) घटा (आधार वर्ष के लिए वाहन खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य)।
- घटक खंड के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य:** (किसी वर्ष विशेष के लिए घटक खंड हेतु पात्र बिक्री मूल्य) न्यूनित (आधार वर्ष के लिए घटक खंड के लिए योग्य बिक्री मूल्य)।

3.3.1.3 इस स्कीम को केवल उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यानी पात्र उन्नत ऑटोमोटिव उत्पाद घटक स्तर पर स्टैंडअलोन आधार पर या वाहन के साथ एकीकरण में वाहन की तरफ उचित मूल्य विभाजन सहित। अतः, ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के रूप में एक अनुमोदित विधिक इकाई इस शर्त के अधीन स्कीम के दोनों घटकों के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है कि स्कीम के तहत किसी भी पात्र उत्पाद को केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के लिए एक ही उत्पाद के लिए कोई भी दोहरा दावा घटक स्तर और वाहन स्तर के तहत केवल इसी आधार पर और किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के आधार पर इकाई / संस्थाओं अयोग्यता का कारण बन सकता है।

3.3.2 चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

3.3.2.1 अवलोकन:

- ओईएम द्वारा सामना किए जाने वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों से संबंधित लागत अक्षमताओं को दूर करने के लिए लक्षित एक प्रोत्साहन स्कीम।
- चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम एक 'सेल्स वैल्यू लिंकड' स्कीम है, जो दुपहिया, तिपहिया, यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, सैन्य उपयोग के लिए ऑटोमोबिल और किसी भी अन्य तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहन सभी खंडों के बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन फ्यूल सेलचालित वाहनों पर लागू है।
- लक्ष्य खंड:** ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां)।

3.3.2.2 पात्रता:

- I. ऊपर दिए गए पैरा 3.2 के अनुसार पात्र कंपनियां जो नीचे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी:
 - ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या उसकी समूह कंपनी(कंपनियां) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी(कंपनियां) चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
 - विकास प्रोत्साहन (लाभ का %) निर्धारित बिक्री मूल्य पर लागू होते हैं।
- II. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों की सूची जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन आदि तकनीकी विकास के आधार पर समय-समय पर भारी उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- III. स्वीकृत आवेदक इस स्कीम में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहनों के रूप में अपने उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।
- IV. पात्र उत्पाद का पूर्व-अनुमोदन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में किया जाएगा।
- V. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फेम -II स्कीम के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फेम स्कीम की तरह ही होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।
- VI. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ पूर्व-अनुमोदित पात्र उत्पाद इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
- VII. परीक्षण एजेंसी स्कीम के तहत पात्र बिक्री मूल्य के प्रयोजन के लिए सौंपे जाने/विनियोजित किए जाने वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के मूल्य का पता लगाएगी।

3.3.2.3 स्कीम प्रोत्साहन तंत्र

- I. अनुमोदित आवेदक स्कीम की अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्धारित बिक्री मूल्य पर प्रोत्साहन (% लाभ) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- II. अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी (जो वर्तमान में ऑटोमोबिल या ऑटो कंपोनेंट निर्माण व्यवसाय में नहीं है) के लिए आधार वर्ष में योग्य बिक्री मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा।
- III. सभी कंपनियों के संबंध में पहले वर्ष के लिए अवसीमा निर्धारित बिक्री मूल्य ₹125 करोड़ है यानि प्रोत्साहन का दावा करने के लिए स्कीम के इस घटक के तहत मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियां।
- IV. वर्ष-दर-वर्ष पहले वर्ष के निर्धारित बिक्री मूल्य में न्यूनतम 10% की वृद्धि अर्थात ₹125 करोड़ सभी अनुमोदित कंपनियों द्वारा हासिल की जानी है अर्थात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियां।
- V. यदि अनुमोदित कंपनी किसी दिए गए वर्ष के लिए, पहले वर्ष में निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि (यथा 125 करोड़ रूपए) की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा। हालांकि, यह अभी भी अगले वर्ष में स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, यदि यह उस विशेष वर्ष के लिए सीमा को पूरा कर ले जिसकी गणना पहले वर्ष के लिए अवसीमा की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाएगी और उसके बाद से लगातार 4 वर्षों तक- जब से स्कीम के तहत प्रोत्साहन लागू हुआ हो (वित्त वर्ष 2022-23)। यह प्रावधान सभी स्वीकृत कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेगा यानी मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के साथ-साथ उन अनुमोदित आवेदकों की सुरक्षा करना, जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार की मांग की स्थितियों की प्रतिकूलताओं के विरुद्ध अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया।
- VI. अनुमोदित कंपनियां जो स्कीम की अवधि के दौरान ₹ 10,000 करोड़ की निर्धारित बिक्री में संचयी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करती हैं, उन्हें 2% का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। यह अतिरिक्त 2% प्रोत्साहन निर्धारित बिक्री मूल्य में ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की संचयी वृद्धि पर लागू है।

VII. इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रस्तावित प्रोत्साहन फेम-II स्कीम के तहत दिए गए प्रोत्साहनों से अलग होगा, जहां वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, न कि निर्माताओं को। इस स्कीम के तहत उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी वाले बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है, जिसके लिए एसीसी के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया गया हो।

VII. चैंपियन ओईएम और नई गैर-ऑटोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन स्लैब:

तालिका 1 : चैंपियन ओईएम और नई गैर-ऑटोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन स्लैब

| निर्धारित बिक्री मूल्य (₹ करोड़ में) | प्रोत्साहन राशि (निर्धारित बिक्री मूल्य का% आयु) |
|---|---|
| <= 2,000 | 13% |
| > 2,000 से 3,000 | 14% |
| > 3000 से 4000 | 15% |
| > 4,000 | 16% |
| 5 वर्षों में ₹ 10,000 करोड़ का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य | अतिरिक्त 2% |

नोट:-i. केवल वे बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे जो फेम-II स्कीम के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।

3.3.3 घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम

3.3.3.1 अवलोकन:

- I. 'कंपोनेंट चैंपियन' प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य ऑटो-घटक चैंपियन की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है जो वैश्विक स्तर के संचालन को प्राप्त कर सकते हैं और उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑटो- घटक निर्माण क्षेत्र के लिए 'ऑटोमोटिव चैंपियन' बन सकते हैं।
- II. कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम एक 'सेल्स वैल्यू लिंकड' स्कीम है, जो सभी सैन्य उपयोग के लिए ऑटोमोबिल और तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों सहित वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी घटकों, सीकेडी/एसकेडी किट, दुपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों के वाहन समुच्चय पर लागू होती है।
- III. **लक्ष्य खंड:** ऑटो-घटक विनिर्माता कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियाँ), ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियाँ) और नई नॉन-ऑटोमोटिव इन्वेस्टर कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियाँ)।

3.3.3.2 पात्रता:

- I. उपरोक्त पैरा 3.2 के अनुसार पात्र कंपनियां जो नीचे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी:
 - ऑटो- घटक विनिर्माता कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियां) , ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियां) और नई नॉन-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी गुप कंपनी (कंपनियां) घटक चैंपियन इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी ।
 - वृद्धि प्रोत्साहन (लाभ का %) निर्धारित बिक्री मूल्य पर लागू होते हैं।

- II. पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की सूची भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सूची में संशोधन किया जा सकता है।
- III. अनुमोदित आवेदक इस स्कीम में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों के रूप में अपने उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।
- IV. पात्र उत्पाद का पूर्व-अनुमोदन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के रूप में किया जाएगा।
- V. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फेम-II स्कीम के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फेम स्कीम की तरह ही होगी। परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।
- VI. न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ पूर्व-अनुमोदित पात्र उत्पाद इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
- VII. परीक्षण एजेंसी स्कीम के तहत पात्र बिक्री मूल्य के प्रयोजन के लिए सौंपे जाने/विभाजित किए जाने वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के मूल्य की जांच करेगी।

3.3.3.3 स्कीम प्रोत्साहन तंत्र

- I. स्वीकृत आवेदक स्कीम की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के निर्धारित बिक्री मूल्यों पर प्रोत्साहन (% लाभ) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- II. अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी (जो वर्तमान में ऑटोमोबिल या ऑटो घटक निर्माण व्यवसाय में नहीं है) के लिए आधार वर्ष में पात्र बिक्री मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा।
- III. सभी कंपनियों मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को प्रोत्साहन का दावा करने के लिए स्कीम के इस घटक के तहत पहले वर्ष के लिए अवसीमा निर्धारित बिक्री मूल्य ₹ 25 करोड़ है।
- IV. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए वर्ष-दर-वर्ष प्रथम वर्ष के निर्धारित बिक्री मूल्य में न्यूनतम 10% की वृद्धि अर्थात ₹ 25 करोड़ सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों द्वारा हासिल की जानी है।
- V. यदि अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा (जैसे, ₹ 25 करोड़) को किसी वर्ष विशेष में पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किन्तु, यह तब भी अगले वर्ष में स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, यदि उस विशेष वर्ष के लिए अवसीमा को पूरा कर ले जिसकी गणना पहले वर्ष के लिए और उसके बाद से लगातार 4 वर्षों तक जब स्कीम के तहत प्रोत्साहन लागू हो जाएगा (वित्त वर्ष 2022-23), अवसीमा से अधिक 10% वार्षिक वृद्धि के आधार पर की जाएगी। यह प्रावधान सभी अनुमोदित कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेगा यानी मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के साथ-साथ अनुमोदित आवेदकों को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार की मांग की स्थितियों की प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया।
- VI. अनुमोदित कंपनियां जो स्कीम की अवधि के दौरान ₹ 1250 करोड़ के निर्धारित बिक्री मूल्य में संचयी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करती हैं, उन्हें अतिरिक्त 2% प्रोत्साहन मिलेगा। यह 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन निर्धारित बिक्री मूल्य में ₹ 1250 करोड़ से अधिक की संचयी वृद्धि पर लागू है।
- VII. भविष्य के प्रौद्योगिकी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के घटकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है।
- VIII. घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए प्रोत्साहन स्लैब:

तालिका 2: घटक चैंपियन और नए गैर-ऑटोमोटिव (कंपोनेंट) के लिए प्रोत्साहन स्लैब निवेशक कंपनी

| निर्धारित बिक्री मूल्य (₹ करोड़ में) | प्रोत्साहन राशि (निर्धारित बिक्री मूल्य का% आयु) |
|---|---|
| <= 250 | 8% * |
| > 250 से 500 | 9% * |
| > 500 से 750 | 10% * |
| > 750 | ११% * |
| 5 वर्षों में ₹ 1,250 करोड़ का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य । | अतिरिक्त 2% |
| बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन घटक | अतिरिक्त 5% |

* अंतर्दहन इंजन (आईसीई) वाहन घटकों से संबंधित पात्र बिक्री के लिए पांचवें वर्ष में 0.9 के कारक से गुणित।

नोट:- i. वार्षिक आधार पर, घटक चैंपियन स्कीम के तहत अनुमोदित कंपनी को भारत में उत्पादित बैटरी-ईवी और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए विशिष्ट घटकों के बिक्री मूल्य का अलग से विवरण देना होगा।

4. प्रोत्साहन परिव्यय

4.1 कुल प्रोत्साहन: स्कीम के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रोत्साहन परिव्यय और कुल प्रोत्साहन परिव्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 3 : प्रोत्साहन परिव्यय

| लागू प्रोत्साहन (वित्तीय वर्ष) | प्रोत्साहन का संवितरण (वित्तीय वर्ष) | कुल प्रोत्साहन (₹ करोड़) |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| 2022-23 | 2023-24 | 604 |
| 2023-24 | 2024-25 | 3,150 |
| 2024-25 | 2025-26 | 5,925 |
| 2025-26 | 2026-27 | 7,199 |
| 2026-27 | 2027-28 | 9,060 |
| कुल | | 25,938 |

नोट:

- वार्षिक प्रोत्साहन भुगतान सांकेतिक हैं और समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर बिक्री/बाजार परिदृश्य के आधार पर इसे बदला जा सकता है।

- ii. यह एक कोष सीमित स्कीम है। स्कीम के 5 वर्षों के दौरान कुल प्रोत्साहन भुगतान की सीमा ₹ 25,938 करोड़ होगी। यदि परिकल्पित प्रोत्साहन भुगतान बजट से अधिक हो जाता है, तो इसे सभी पीएलआई में विकसित फॉर्मूलेशन के अनुसार अनुपातिक आधार पर घटा दिया जाएगा।
- iii. लाभार्थियों की संख्या आदि के आधार पर प्रोत्साहन का वितरण अनुमानों से भिन्न हो सकता है।
- iv. स्कीम के लिए प्रशासनिक व्यय ₹ 25,938 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर समाहित किया जाएगा।

4.2 प्रति कंपनी प्रोत्साहन

- I. 'चैंपियन ओईएम' इंसेंटिव स्कीम' के तहत प्रति कंपनी प्रोत्साहन उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित वाहनों के निर्धारित बिक्री मूल्य पर निर्भर करेगा जो संचयी नए घरेलू निवेश के मानदंडों को पूरा करने और वर्ष दर वर्ष वृद्धि पर निर्भर करेगा।
- II. 'घटक चैंपियन' प्रोत्साहन स्कीम' के तहत प्रति कंपनी प्रोत्साहन भारत में निर्मित उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी घटकों के निर्धारित बिक्री मूल्य पर निर्भर करेगा, जो संचयी नए घरेलू निवेश के मानदंडों को पूरा करने और वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अधीन होगा।

4.3 स्कीम के विभिन्न घटकों के बीच स्पिलओवर

यह स्कीम केवल उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों, जैसे - घटक स्तर पर स्टैंडअलोन आधार पर पात्र उन्नत ऑटोमोटिव उत्पाद या वाहन साइड पर उचित मूल्य विनियोजन वाले वाहन के साथ एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अतः, अनुमोदित विधिक इकाई ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी स्कीम के दोनों घटकों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती है, बशर्ते किसी भी पात्र उत्पाद को स्कीम के तहत केवल एक बार ही प्रोत्साहित किया जाएगा। घटक स्तर और वाहन स्तर के तहत एक ही उत्पाद के लिए प्रोत्साहन के लिए किया गया कोई दोहरा दावा विधि के तहत लागू किसी अन्य विधिक कार्रवाई के अलावा केवल इस आधार पर शामिल विधिक इकाई/संस्थाओं को अपात्र घोषित कर सकता है।

4.4 प्रति कंपनी अधिकतम प्रोत्साहन

प्रति समग्र कंपनी के लिए कुल प्रोत्साहन राशि 6,485 करोड़ रुपये (इस स्कीम के तहत कुल प्रोत्साहनों का 25 प्रतिशत) तक सीमित है। पात्र कंपनी को देय प्रोत्साहन की सीमा को करार के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

4.5 इस स्कीम के कार्यान्वयन में लचीलापन बनाए रखने के लिए, इस स्कीम में स्कीम के घटकों और उप-घटकों के भीतर और उनके बीच निधियों की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है।

4.6 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को इस स्कीम के तहत देय प्रोत्साहन फेम-II स्कीम के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा होगा जहां वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, न कि विनिर्माताओं को। इस पीएलआई स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को नहीं, बल्कि निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

4.7 उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी वाले वाहनों के लिए इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है जिसके लिए एसीसी के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया गया है क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) विनिर्माताओं को कहीं से भी एसीसी बैटरी स्रोत प्राप्त करने की स्वतंत्रता है और यदि किसी मामले में इस प्रोत्साहन की अनुमति नहीं है, तो वे लागत में कटौती के लिए एसीसी बैटरी के आयात का सहारा ले सकते हैं।

5. गणना का आधार: यह आकलन विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए विवरणों और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्रों पर आधारित होगा।

6. कार्य व्यवस्था (मैकेनिज्म)

6.1 नोडल एजेंसी

6.1.1 यह स्कीम एक नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। यह नोडल एजेंसी एक परिस्कीम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सौंपे गए सचिवालय, प्रबंधकीय और

कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति उत्तरदायी होगी। स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, पीएमए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

6.1.2 स्कीम के तहत सहायता के लिए आवेदनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन।

6.1.3 स्कीम के तहत प्रोत्साहन वितरण के लिए पात्र दावों की जांच करना।

6.1.4 स्कीम की प्रगति और निष्पादन के बारे में आंकड़ों का संकलन, जिसमें कंपनियों के लिए कुल घरेलू निवेश और माल की वृद्धिशील बिक्री शामिल है।

6.1.5 विभिन्न स्कीम के तहत एक ही गतिविधि के कारण लेखांकन नीति में किसी भी परिवर्तन या लाभों के दोहराव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवधीकरण पर नियंत्रण रखना।

6.1.6 किसी भी दोहराव और कई समितियों के गठन से बचने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में फेम-II के तहत बनाए गए प्रशासनिक तंत्र का उपयोग ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

6.2. लेखापरीक्षा: स्कीम दिशानिर्देशों में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा परीक्षक (लागत या चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा लागत लेखापरीक्षा का प्रावधान होगा और व्यय की पूर्ति स्कीम के आवंटन के भीतर की जाएगी।

6.3 पीएलआई स्कीम की निगरानी और कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार: 11 नवंबर, 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त सचिव समूह (ईजीओ) (10.06.2020 की गजट अधिसूचना के माध्यम से मंत्रिमंडल द्वारा गठित) पीएलआई स्कीम की निगरानी करेगा, स्कीम के तहत व्यय की आवधिक समीक्षा करेगा, सभी पीएलआई स्कीम की एकरूपता सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगा कि व्यय निर्धारित परिव्यय के भीतर हो। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त स्कीम के तौर-तरीकों में अपेक्षित कोई भी परिवर्तन इस शर्त के अधीन होगा कि समग्र वित्तीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये के भीतर हो, इसे अधिकार प्राप्त सचिव समूह (ईजीओ) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.4 प्रोत्साहन का अनुमोदन और वितरण

- I. इस स्कीम के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है।
- II. प्रारंभिक आवेदन, जो सभी पहलुओं को पूरा करता है, उसे निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद पावती जारी की जाएगी। पावती को स्कीम के तहत अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।
- III. प्रोत्साहन उन पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाएंगे, जो आवश्यक सीमा को पूरा करेंगे और जिनके संवितरण दावे क्रम में पाए जाते हैं।
- IV. इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होंगे, जो अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023-24 में वितरित किए जाएंगे और इसी तरह लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए वितरित किए जाएंगे।
- V. यह स्कीम पारदर्शिता, स्वचालितता और प्रोत्साहनों के त्वरित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा आधारित होगी। डेटा को निर्बाध तरीके से प्रविष्ट किया जाएगा और संबंधित एचएस कोड का उपयोग करेगा।
7. **स्कीम के लिए दिशानिर्देश:** स्कीम के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए, विस्तृत दिशा-निर्देशों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। स्कीम के साथ-साथ दिशा-निर्देश भी पढ़े जाने हैं। स्कीम और दिशा-निर्देशों के बीच किसी विसंगति के मामले में, स्कीम के प्रावधान मान्य होंगे।
8. **ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई स्कीम:** ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई स्कीम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा अलग से अधिसूचित/प्रकाशित किया जाएगा।

[फा.सं. 12(11)/2020-ईआई (21370)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2021

SUBJECT: PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR AUTOMOBILE AND AUTO COMPONENT INDUSTRY**S.O. 3946(E).—1. Introduction:**

Government has approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Components Industry in India for Enhancing India's Manufacturing Capabilities for Advanced Automotive Products with a budgetary outlay of Rs. 25,938 crore.

2. Objective:

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components proposes financial incentives to boost domestic manufacturing of Advanced Automotive Technology products and attract investments in the automotive manufacturing value chain. Its prime objectives include overcoming cost disabilities, creating economies of scale and building a robust supply chain in areas of Advanced Automotive Technology products. It will also generate employment. This scheme will facilitate the Automobile Industry to move up the value chain into higher value added products.

3. Salient Features of the Scheme:

3.1 Scheme Components: The scheme consists of two components incentivizing incremental sales of automobile and auto components related to Advanced Automotive Technology.

3.2 Eligibility: The applicant company or its Group company(ies) will need to meet the following common criteria to qualify and receive benefits under the Scheme:

Basic Eligibility Criteria:

(a) For company or its Group company(ies) with existing presence in India or globally in the Automotive vehicle and components manufacturing business:

| Eligibility Criteria | Auto OEM | Auto-Component |
|---|---|--|
| Global group* Revenue (from automotive and/or auto component manufacturing) | Minimum ₹ 10,000 crore. | Minimum ₹ 500 crore. |
| Investment | Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹ 3,000 crore. | Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹150 crore. |

**Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:*

Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise;

Or

Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise. (As defined in the FDI Policy Circular of 2020)

Note: i. Above Eligibility criteria to be met based on audited financial statements for year ending March 31, 2021.

ii. An applicant company or its Group company(ies) must satisfy the entire eligibility criteria to be eligible under the scheme.

(b) For new non-automotive investor company or its Group company(ies) that may want to participate in this scheme:

| | |
|---|---|
| Eligibility Criteria | New Non-Automotive investor company or its Group company(ies) (who are currently not in automobile or auto component manufacturing business) |
| Global net worth | ₹ 1000crorebased on audited financial statements for year ending March 31, 2021. |
| Committed investment in India over five year period | As per Minimum New Domestic Investment Conditions mentioned in para – 3.2(c) below. |

Note :

- Non-Automotive company or its Group company(ies) can qualify for this scheme provided they present a clear business plan to invest in India and generate revenues from Advanced Automotive Technology vehicles or Advanced Automotive Technology components manufacturing.
- The applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to claim incentive subject to meeting cumulative minimum new domestic investment to be achieved for a particular year. The applicant will also have to meet the % Year on Year growth criteria from the minimum threshold fixed from the first year.
- New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be defined as those who have no revenue from manufacturing of Automobile or auto- components as on 31st March 2021.
- An applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) must satisfy the entire eligibility criteria.

(c) Minimum New Domestic Investment Conditions:

Cumulative New Domestic Investment Condition of Performance (₹ Crore)

| Cumulative new domestic investment to be achieved | Champion OEM (Except 2W & 3W) | Champion OEM 2W & 3W | Component Champion | New Non-Automotive investor(OEM)company or its Group company(ies) | New Non-Automotive investor (Component)company or its Group company(ies) |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|
| Upto or before March 31, 2023 | 300 | 150 | 40 | 300 | 80 |
| Upto or before March 31, 2024 | 800 | 400 | 100 | 800 | 200 |
| Upto or before March 31, 2025 | 1400 | 700 | 175 | 1400 | 350 |
| Upto or before March 31, 2026 | 1750 | 875 | 220 | 1750 | 440 |
| Upto or before March 31, 2027 | 2000 | 1000 | 250 | 2000 | 500 |

Note :

- New investments should be made from the same legal entity as the one applying for the incentive.
- Cumulative new domestic investment made starting 1st April 2021 shall be considered under this condition.
- The approved Company is required to meet the cumulative investment condition for each year.

- iv. In the event, any approved company meets the investment condition few years before the end of the scheme; it will be eligible for incentives throughout the tenure of the scheme subject to meeting other conditions of the scheme.
- v. In case the approved company fails to meet the cumulative domestic investment condition in any given year, it will not receive any incentive for that year even if the threshold for Determined sales value is achieved. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the following years if it meets the cumulative domestic investment condition defined for that year.

(d) Preference will be given to eligible company or its Group company(ies) committing to front load their investment during the scheme period. Proposed investment commitment will be evaluated by calculating the Net Present Value (NPV) of the investment using the bank rate as the discounting factor.

3.3 Details of the Scheme

The Scheme has two components namely, Champion OEM Incentive Scheme & Component Champion Incentive Scheme. Any Automotive OEM company or its Group company(ies) and New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) are eligible to apply for both the components of the scheme.

3.3.1 General Details of the Scheme

3.3.1.1 Tenure of the Scheme

- i. Incentive under the scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2022-23 which will be disbursed in the following Financial Year i.e. 2023-24 and so on for a total of five(05) consecutive Financial Years.
- ii. An approved applicant shall be eligible for benefits for 5 consecutive Financial Years but not beyond for the Financial Year ending 31/03/2027.
- iii. **Base Year:** Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year for calculation of **eligible sales value** (not applicable for approved New Non-Automotive Investor Company).

3.3.1.2 Eligible Sales Value and Determined Sales Value under the Scheme:

- I. **Eligible Sales Value for Vehicle Segment:** Total sales (Net of GST) for eligible vehicles.
- II. **Eligible Sales Value for Component Segment:** Total sales (Net of GST) for eligible components **Or** apportioned value of eligible component as determined by Testing Agency of MHI.
- III. **Determined Sales Value for Vehicle Segment:** (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for Base year).
- IV. **Determined Sales Value for Component Segment :** (Eligible Sales Value for Component Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Component Segment for Base year).

3.3.1.3 The scheme is designed to incentivize Advanced Automotive Technology products only viz eligible Advanced Automotive product on standalone basis at component level or in integration with the vehicle having appropriate value apportionment on the vehicle side. Therefore, an approved legal entity as Automotive OEM company or New Non-Automotive Investor company can avail incentives under both components of the scheme subject to the condition that any eligible product shall be incentivized only once under the scheme. Any double claim of incentive for the same product under component level and vehicle level can lead to disqualification of the legal entity/entities involved on this ground alone in addition to any other legal action as applicable under the law.

3.3.2 Champion OEM incentive scheme

3.3.2.1 Overview:

- I. An incentive scheme targeted to address the cost disabilities related to Advanced Automotive Technology vehicles faced by OEMs.
- II. The Champion OEM Incentive scheme is a 'sales value linked' scheme, applicable on Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles of all segments – 2 wheelers, 3 wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles, Tractors, Automobile meant for Military use and any

other Advanced Automotive Technology vehicle as prescribed by MHI depending upon technical developments.

- III. **Target Segment:** Automotive OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies).

3.3.2.2 Eligibility:

- I. Eligible companies as per para 3.2 above who meet the criteria mentioned below will qualify for incentives under the Champion OEM Incentive Scheme:
 - Automotive OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to apply for the Champion OEM incentive scheme.
 - Growth incentives (% of benefits) are applicable on Determined Sales Value.
- II. The list of Advanced Automotive Technology vehicles like Battery Electric Vehicles (BEV), Hydrogen Fuel Cell Vehicles etc will be prescribed by MHI from time to time depending upon technological developments.
- III. The approved applicants will apply for registration of their products as eligible Advanced Automotive Technology vehicles to seek incentive in this scheme.
- IV. Pre-approval of eligible product will be done by Testing Agency of MHI as Advanced Automotive Technology Product as prescribed by MHI from time to time.
- V. Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.
- VI. Pre-approved eligible product with minimum 50% domestic value addition will be eligible for incentive under this scheme.
- VII. Testing Agency will ascertain the value of Advanced Automotive Technology components to be assigned/apportioned for the purpose of eligible sales value under the scheme.

3.3.2.3 Scheme Incentive Mechanism

- I. The approved applicants will be entitled to receive incentives (% benefit) on Determined Sales Value subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is ₹125 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year on Year (YoY) growth of minimum 10% in Determined Sales Value of first year i.e ₹125 crore has to be achieved by all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e ₹125 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined sales of ₹ 10,000 crore across the duration of the scheme will receive an additional incentive of 2%. This additional 2% incentive is applicable on the cumulative increase in Determined Sales Value in excess of ₹ 10,000 crore.

VII. Incentive proposed under this scheme to Electric vehicle manufacturers will be independent of the incentives given under FAME II scheme where incentives are provided to customers who buy the vehicles and not to the manufacturers. Incentives can be claimed under this scheme for Battery Electric vehicles having Advanced Chemistry Cell (ACC) batteries for which incentives have been claimed under the PLI scheme for ACC.

VIII. Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM) Investor company:

Table 1: Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM) Investor Company

| Determined Sales Value (in ₹ Crore) | Incentives (%age of Determined Sales Value) |
|--|--|
| <= 2,000 | 13% |
| > 2,000 to 3,000 | 14% |
| > 3,000 to 4,000 | 15% |
| > 4,000 | 16% |
| Cumulative Determined Sales Value of ₹10,000 Crore over 5 years | Additional 2% |

Note: - i. Only those Battery Electric Vehicles will be eligible for incentives which meet the performance criteria of FAME-II scheme or as notified from time to time by MHI.

3.3.3 Component Champion incentive scheme

3.3.3.1 Overview:

- I. The 'Component Champion' Incentive scheme is aimed at identifying and incentivizing Auto-component champions that can achieve global scale of operations and become 'Automotive Champions' for the auto-component manufacturing sector related to Advanced Automotive Technology.
- II. The Component Champion Incentive scheme is a 'sales value linked' scheme, applicable on pre-approved Advanced Automotive Technology components of all vehicles, CKD/SKD kits, Vehicle aggregates of 2-Wheelers, 3-Wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles and tractors including automobile meant for military use and any other Advanced Automotive Technology components prescribed by MHI depending upon technical developments.
- III. **Target Segment:** Auto-component manufacturing company or its Group company(ies), Automotive OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies).

3.3.3.2 Eligibility:

- I. Eligible companies as per para 3.2 above who meet the criteria mentioned below will qualify for incentives under the Component Champion Incentive Scheme:
 - Auto-component manufacturing company or its Group company(ies), Automotive OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to apply for the Component Champion incentive scheme.
 - Growth incentives (% of benefits) are applicable on Determined Sales Value.
- II. The list of eligible Advanced Automotive Technology components will be prescribed by MHI. The list can be amended by MHI from time to time depending upon technological developments.
- III. The approved applicants will apply for registration of their products as eligible Advanced Automotive Technology components to seek incentive in this scheme.
- IV. Pre-approval of eligible product will be done by Testing Agency of MHI as Advanced Automotive Technology components as prescribed by MHI from time to time.

- V. Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency will certify domestic value addition in the eligible product.
- VI. Pre-approved eligible product with minimum 50% domestic value addition will be eligible for incentive under this scheme.
- VII. Testing Agency will ascertain the value of Advanced Automotive Technology components to be assigned/apportioned for the purpose of eligible sales value under the scheme.

3.3.3.3 Scheme Incentive Mechanism

- I. The Approved applicants will be entitled to receive incentives (% benefit) on the Determined Sales Values of Advanced Automotive Technology components subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is ₹ 25 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year on Year (YoY) growth of minimum 10% in Determined Sales Value of the first year i.e. ₹ 25 crore has to be achieved by all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e. ₹ 25 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined Sales Value of ₹ 1250 crore across the duration of the scheme will receive an additional 2% incentive. This 2% additional incentive is applicable on the cumulative increase in Determined Sales Value in excess of ₹ 1250 crore.
- VII. Additional incentive has also been provided for components of Battery Electric Vehicles (BEV) and Hydrogen fuel cell vehicles in order to promote future technology vehicles.
- VIII. Incentive slab for Component Champion Incentive Scheme:

Table 2 : Incentive slab for Component Champion and New Non-Automotive (Component) Investor company

| Determined Sales Value (in ₹ Crore) | Incentives (%age of Determined Sales Value) |
|--|--|
| <= 250 | 8%* |
| > 250 to 500 | 9%* |
| > 500 to 750 | 10%* |
| > 750 | 11%* |

| | |
|---|----------------------|
| Cumulative Determined Sales Value of ₹1,250 Crores over 5 years. | Additional 2% |
| Battery Electric vehicles & Hydrogen fuel cell vehicles components | Additional 5% |

***Multiplied by a factor of 0.9 in the fifth year for eligible sales relating to Internal Combustion Engine (ICE) vehicle components.**

Note: - i. On an annual basis, the approved company under the Component Champion Scheme will have to separately report break up of sales value of components specific to Battery-EV and Hydrogen fuel Cell vehicle produced in India.

4. Incentive Outlay

4.1 Total Incentive: The expected annual incentive outlay and total incentive outlay under the Scheme is as given below:

Table 3: Incentive outlay

| Applicable Incentive (Financial Year) | Disbursement of Incentive (Financial Year) | Total Incentive (₹ Crore) |
|--|---|----------------------------------|
| 2022-23 | 2023-24 | 604 |
| 2023-24 | 2024-25 | 3,150 |
| 2024-25 | 2025-26 | 5,925 |
| 2025-26 | 2026-27 | 7,199 |
| 2026-27 | 2027-28 | 9,060 |
| Total | | 25,938 |

Note:

- The yearly incentive payouts are indicative and can be changed depending upon the sales /market scenario, within the overall Financial Outlay.
- This is a fund limited scheme. The total incentive payout during 5 years of the scheme will be capped at ₹25,938 crore. In case the calculated incentive payout exceeds the budget, it will be reduced on pro-rata basis as per the formulation developed across all PLIs.
- Distribution of incentive may differ from estimates, depending on the number of beneficiaries etc.
- The administrative expenses for the scheme will be absorbed within the overall limit of ₹25,938 crore.

4.2 Incentive per company

- Under the 'Champion OEM' Incentive Scheme' the incentive per company will depend on the Determined Sales Value of vehicles related to Advanced Automotive Technology subject to meeting the criteria of cumulative new domestic investment, and Year on Year growth.
- Under the 'Component Champion' Incentive Scheme' the incentive per company will depend on the Determined Sales Value of Advanced Automotive Technology components manufactured in India, subject to meeting the criteria of cumulative new domestic investment, and Year on Year growth.

4.3 Spillover between different components of the scheme

The scheme is designed to incentivize Advanced Automotive Technology products only viz eligible Advanced Automotive product on standalone basis at component level or in integration with the vehicle having appropriate value apportionment on the vehicle side. Therefore, an approved legal entity as Automotive OEM company or New Non-Automotive Investor company

can avail incentives under both components of the scheme subject to the condition that any eligible product shall be incentivized only once under the scheme. Any double claim of incentive for the same product under component level and vehicle level can lead to disqualification of the legal entity/entities involved on this ground alone in addition to any other legal action as applicable under the law.

4.4 Maximum incentive per company

Total Incentive per entire Group company(ies) is capped at ₹ 6,485crore(25% of total incentives outlay under this Scheme). The cap on incentive payable to the approved company or Group of company(ies) as stated above would be incorporated as part of the agreement.

4.5 To retain flexibility in the implementation of the scheme, the scheme proposes fungibility of funds within and across the components of the scheme.

4.6 Incentive payable under this scheme to Electric vehicle manufacturers will be independent of/in addition to the incentives given under FAME-II scheme where incentives are provided to customers who buy the vehicles and not to the manufacturers. Under this PLI scheme, incentives are being given to manufacturers not the consumers.

4.7 Incentives may also be claimed under this scheme for vehicles having Advanced Chemistry Cell (ACC) batteries for which incentives have been claimed under the PLI scheme for ACC because Battery Electric vehicle (BEV) manufacturers have the freedom to source ACC batteries from anywhere and in case this incentive is not allowed, they may resort to imports of ACC batteries for cost cutting.

5 Basis of Computation :

The assessment shall be based on details furnished to the Departments / Ministries / Agencies, and Statutory Auditor certificates.

6 Mechanism

6.1 Nodal Agency

6.1.1 The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency. Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities, as assigned by MHI from time to time. For carrying out activities related to the implementation of the Scheme, PMA would inter-alia be responsible for:

6.1.2. Appraisal of applications and verification of eligibility for support under the Scheme.

6.1.3 Examination of claims eligible for disbursement of incentives under the Scheme.

6.1.4 Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme, including cumulative domestic investment and incremental eligible sales of goods for companies.

6.1.5 To keep a check on any diversions arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different Schemes.

6.1.6 To avoid any duplication and formation of multiple committees, the Administrative Mechanism created under FAME-II scheme in MHI will be used for granting approvals under Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components.

6.2 Audit: The scheme shall have provision for cost audit by External Auditor (Cost or Chartered Accountant) appointed by MHI and the expenses will be met within the allocation of the scheme.

6.3 Monitoring of the PLI scheme and power to remove difficulties: As approved by the Cabinet on 11th November 2020, the Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary (constituted by the Cabinet vide Gazette notification dated 10.06.2020) will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLI Schemes and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, any changes required in the modalities of the scheme mentioned above subject to the condition that the overall financial outlay remain within ₹ 25,938 crore, will be placed for consideration of EGoS.

6.4 Approval and Disbursement of Incentive

I. Application under the Scheme can be made by any company registered in India.

- II. An initial application, complete in all aspects, will have to be submitted before the due date. Acknowledgement will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under the Scheme.
- III. The incentives shall be released to eligible applicants, meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order.
- IV. Incentives under the Scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2022-23 which will be disbursed in the following Financial Year i.e. 2023-24, and so on for a total of 5 consecutive Financial Years.
- V. The scheme will be data driven to ensure transparency, automaticity and prompt disbursement of incentives. The data will be captured in seamless manner and will make use of respective HS codes.
7. **Guidelines to the Scheme:** For the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the detailed guidelines shall be notified separately. The guidelines are to be read along with the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail.
8. **PLI Scheme for Drone and Drone components:** The PLI scheme for Drone and Drone components shall be separately notified / published by Ministry of Civil Aviation (MoCA).

[F. No. 12(11)/2020-AEI (21370)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.